JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS

Case No. 92 of 2017

Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties of pleaders where Necessary

19.517

waer en

the street of

आज आरक्षी केन्द्र पालकार्श विश्वाक्रके उपनिशेक्षक/सहायक जिल्ला आरक्षक/आरक्षक वालेश उपनिशेक्षक/सहायक किए। उपनिशेक्षक/प्रधान अपराध के अपराध अधिनियमके अधीन दण्डनीय अपराध के सबंध में अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग न

राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ० श्री...

उप०

अभियुक्त / अभियुक्तगण सन्डमा हम डने-श्री द्वारण शामिष्ठम । अभियुक्त / अभियुक्त गण की ओर से अधिवक्ता श्री किया। किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग। पत्र/परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार मा०दं०सं०/ अभियुक्त के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190-(1) द०प्र०स० के अधीन संज्ञान लिये जाने का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आपराधिक पजी...... में दर्ज

अभियुक्त / अभियुक्तगण द०प्र०स० की धारा २०७ के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजो की पटनीय प्रति निःशुल्क दिलायी जाये।

चूंकि अपराध जमानती प्रकृति का है। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से 7000 / — (सात हजार रूपये) की प्रतिभूति व इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किया जाये तो अभियुक्त को अभिरक्षा से मुक्त। किया जाये।

usn

वृद्धिः मामला सक्षिप्त विचारणीय है। अत सक्षिप्त विचारण प्रास्म किया गया। अभियुक्त / अभियुक्त गण के विक्त हु भाग उत्तर अभियुक्त माण के विक्त हु भाग उत्तर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा समव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त / अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की रवीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टिकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को विवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अगिथुक्त को प्रदान कर पावती ली।

जप्तसुदा संपत्ति कियं जाये। संपत्ति 13 पाल स्ट्रान्यक्रमूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

Judicial magistrate trisuciass.

Gohad Dist Bhind (M12)

पुनश्चः

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि। 500/ रापये अदा की जिसकी पावती बुक क0. 690 रसीद क0. 7.7 ते गई।

अभियुक्त / अभियुक्तगण को तजा भुगताई गई।

प्रकरण उपराक्त निदेश अनुसार संचित हो।

Judicial magistrate first class,